

30.09.2021

प्रार्थी की ओर से श्री महावीर बिश्नोई आधेवक्ता न  
प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र  
दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब  
किया जावे। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को  
प्रार्थना पत्र की छायाप्रति भिजवाते हुए मौका एवं रिकार्ड  
जाँच रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली दिनांक 18.10.2021  
को पेश हो।

जाई  
1171  
01/10/2021

—मा—  
(अर्पिता सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

18.10.2021

आज तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को  
अभियान-2021 के अंतर्गत 12 NRD में पेश हुई  
प्रकरण में उप तहसीलदार मुकलावा की रिपोर्ट  
अंकित/क्र.क्र./2/165 दिनांक 18/10/2021  
द्वारा गठित पंचायत मुख्यालय तहसीलदार  
के विभाग नरतरी की अति पत्र 12 NRD  
क्र.नं. 9 प.नं. 113/314 में क्रि.नं. 21-22-23-24-25  
में राजस्व खींचा करने हेतु आवेदन (क्रि.नं.)  
मुकलावा के अनुसार वांछित राजस्व आबादी  
पर कि हेतु उपयोग लिखा जाग है/जबकि धारा  
24 का अति अति में आवागमन हेतु जो का क्र में  
खतमर ही राजस्व की गणना कर जाता है। आबादी घुमि  
हेतु राजस्व 25 तक में खींचा नहीं किया जा  
सकता। अतः उपर्युक्त खतमर योग्य है।

अतः रिपोर्ट परवासी एवं उप तहसीलदार  
मुकलावा के आधार पर राजस्व पत्र इसी  
स्तर पर खतमर किया जाता है। पत्रावली प्रेषित  
में सुप्रसन्न होकर हाथिल भेजा है।

—मा—  
उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर  
क्र-12NRD

